प्रशासनिक तंत्र एवं शिकायतें दूर करने की प्रक्रियाओं के सभी माध्यमों का उपयोग करने के बाद कुछ सशस्त्र सेना कार्मिक अपने वेतन और सेवाओं तथा उनसे संबंधित मामलों के विषय में अपनी शिकायतें दूर करवाने के लिए न्यायालयों में जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों में सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिकाओं की संख्या इस प्रकार हैं :—

वर्ष	याचिकाओं की संख्या
1992	714
1993	757
1994	1087

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि सशस्त्र सेना कार्मिकों की जायज शिकायतों का उचित रूप में शीघ्र निवारण कर दिया जाए और वैयक्तिक मामलों में गुणावगुण के आधार पर पूर्ण या आंशिक राहत दे दी जाए। कुछ सैन्य कार्मिकों द्वारा न्यायालयों से न्याय प्राप्त करने से तीनों सेनाओं के अफसरों और जवानों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

तस्करी करने के लिए संयुक्त गश्त

8143. श्री संघ प्रिय गौतम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के पश्चिमी तट से हथियारों, नशीले पदार्थों और तस्करी के सामानों का प्रवश रोकने के लिए संयुक्त गश्ती दलों में किन-किन सशस्त्र बलों को शामिल किया गया है ;

(ख) संयुक्त गश्त का मुख्य उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या भारतीय मछुआरों को तंग किये जाने की कोई सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गुजरात के पश्चिमी समुद्र तट से देश में अस्त्रों, नशीले पदार्थों तथा तस्करी के सामान को लाने से रोकने के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक, सीमा शुल्क विभाग व राज्य पुलिस के साथ तालमेल करके पश्चिमी तट पर संयुक्त रूप से गश्त लगा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

कश्मीर में तैनात किये गये सैनिकों द्वारा व्यक्त असंतोष

8144. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर में तैनात किये गये सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा उनके कार्यकलापों में हस्तक्षेप किये जाने के संबंध में हाल ही में असंतोष व्यक्त किया गया है और उनका यह कहना है कि उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने दिया जाता है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस असंतोष को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जम्मू और कश्मीर में तैनाती के दौरान सैन्य तथा अर्धसैनिक बलों ने अपने दायित्वों के बारे में असंतोष व्यक्त किया है। उनको सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार की दखलंदाजी की भी सूचना नहीं मिली है।